भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–170/2017–18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
05.03.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, आनन्दपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 31.3.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 31.3.18 को उपस्थापित करें । 5.3.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
31.03.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर के पत्रांक 58, दिनांक 24.03.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **कर्मा एक्का**, पिता–**बंधना एक्का**, जाति–**उराँव** (अ॰ज॰जा॰) ग्राम–**चारबान्दिया**, थाना–**आनन्दपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**चारबान्दिया**, थाना नं0–**140**, खाता नं०–**21**, प्लॉट नं0–**950**, रकवा **0.06** ए0, क्रेता **दिलबर जोजो**, पिता–**जुनास जोजो**, जाति–**मुण्डा** (अ॰ज॰जा॰), ग्राम–**बेड़ाकेन्दुदा**, पो0–**डुमिरता**, थाना–**आनन्दपुर**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **कर्मा एक्का**, पिता–**बंधना एक्का**, जाति–**उराँव** (अ॰ज॰जा॰) ग्राम–**चारबान्दिया**, थाना–आनन्दपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता थाना–**आनन्दपुर** के निवासी है। विक्रेता जाति **उराँव** (अ॰ज॰जा॰) एवं क्रेता जाति **मुण्डा** (अ॰ज॰जा॰) समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा–**2.77 ए0** भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, **आनन्दपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता **दिलबर जोजो**, पिता–**जुनास जोजो**, जाति–**मुण्डा** (अ॰ज॰जा॰), ग्राम–**बेड़ाकेन्दुदा**, पो0–**डुमिरता**, थाना–**आनन्दपुर**, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित 31.3.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर 31.3.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	